न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी:–गौरव कुमार मित्तल(आर0ए0एस0)

मु0न0	ता0रजू	निर्णय दिनांक
08/2025	07.03.2025	13/01/2026

1. नादिश मोहम्मद पुत्र नफीस मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी हम्माल मोहल्ला शहर सवाई माधोपुर।
2. मोईनुदीन पुत्र अलाउदीन जाति मुसलमान निवासी हम्माल मोहल्ला शहर सवाई माधोपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट</u>

उपस्थित:–

1. श्री पारसमल जैन एड0 प्रार्थी की ओर से।

:– निर्णय –:

- प्रार्थी ने जरिये वकील एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 पेश किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खिलचीपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर की आराजी खसरा नंबर 4976/4509 रकबा 0.26 है. प्रार्थीगण की खरीद शुदा आराजीयात उक्त आराजीयात में प्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा है। उक्त खसरा नंबर 4976/4509 रकबा 0.26 है. का नक्शा ट्रेस में इन्द्राज सही हो रहा है तथा इस खसरा नंबर 4976/4509 के दक्षिण में खसरा नंबर 5028/4509 का भी नक्शा ट्रेस में इन्द्राज हो रहा है। राजस्व रिकोर्ड के नक्शा ट्रेस में खसरा नंबर 4976/4509 शेप में इन्द्राज हो रहा है कि जो राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी के अनुरूप है। ऑनलाईन नक्शा जो प्रदर्शित किया जा रहा है उसमें उक्त वास्तविक नक्शा ट्रेस में हो रहे इन्द्राज के अनुसार नहीं है बल्कि पश्चिम से पूर्व तक सीधी लाईन के रूप में अंकन कर उसमें 5028/4509 प्रदर्शित हो रहा है तथा उसके उत्तर में लगता हुआ खसरा नंबर 4509 तथा खसरा नंबर 4976/4509 प्रदर्शितहो रहो जो कि वास्तविक नक्शा ट्रेस के विपरीत है कि जिसे दुरूस्त किया जाकर वास्तविक नक्शा ट्रेस के अनुरूप उक्त क्रम संख्या 1 में वर्णन किया जानाआवश्यक है जिससे कि ऑनलाईन नक्शा ट्रेस में सही इन्द्राज प्रदर्शित हो सके। यह कि वाद हेतु ऑनलाईन नक्शे की प्रति दिनांक 13.02.2025 को प्रार्थीगण को प्राप्त होने पर माननीय उक्त न्यायालय के

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि खसरा नंबर 4976/4509 रकबा0.26 है. एवं खसरा नंबर 5028/4509 रकबा 0.11 है. ग्राम खिलचीपुर नक्शा ट्रेसएवं राजस्व रिकोर्ड में दर्ज अंकन के अनुसार ऑनलाईन नक्शे में इन्द्राज दर्ज करइन्द्राज दुरूस्ती की जावे अर्थात गलत किये गये इन्द्राजात को हटाकर इनके स्थान पर सही इन्द्राजात दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

- प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जरिये नोटिस तलबी की गयी। प्रकरण में प्रकरण से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार सवाई माधोपुर से तलब की गयी। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि मुताबिक जमाबंदी ग्राम खिलचीपुर खाता संख्या 365 खसरा नंबर 4976/4509 रकबा 0.26 है0 भूमि नादिश मोहम्मद पुत्र नफीस हि0 1/2 व मोइनुदीन पुत्र अलाउद्दीन हि0 1/2 जाति मुसलमान सा0 हम्माल मोहल्ला शहर सवाई माधोपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा नंबर 5028/4509 रकबा 0.11 है0 भूमि किस्म गै0मु0 रास्ता नगर विकास न्यास पूर्ण संस्था के नाम दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक वर्तमान नक्शा लठ्ठा शीट के खसरा नंबर 4976/4509 रकबा 0.26 है0 का नक्शा 4509 के दक्षिणी पूर्वी कोने से शुरू होकर खसरा नंबर 4509 उत्तर पश्चिमी कोने तक एल शेप में बना हुआ है। खसरा नंबर 5026/4509 रकबा 0.11 है0, खसरा नंबर 4976/4509 के दक्षिणी पूर्वी कोने से चालू होकर दक्षिणी पश्चिमी कोने तक बना हुआ है। वर्तमान ऑनलाईन नक्शे में खसरा नंबर 4976/4509 के मूल खसरा नंबर 4509 के सहारे पश्चिमी दिशा में बना रखा है तथा खसरा नंबर 5028/4509 को खसरा नंबर 4509 के दक्षिणी दिशा की सीमा के सहारे बना रखा है। जो गलत है। अतः वर्तमान ऑनलाईन नक्शे में वर्तमान नक्शा लठ्ठा शीट के आधार पर खसरा नंबर 4976/4509 को खसरा नंबर 4509 के दक्षिणी पूर्वी कोने से चालू करते हुये खसरा नंबर 4509 के उत्तरी पश्चिमी कोने तक एल शेप में बनाया जाना व खसरा नंबर 5028/4509 को खसरा नंबर 4976/4509 के दक्षिणी पूर्वी कोने से चालू करके दक्षिणी पश्चिमी सीमा तक दक्षिणी दिशा में बनाया जाना उचित होगा।

- प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस सूनी। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुऐ बताया है कि ग्राम खिलचीपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर की आराजी खसरा नंबर 4976/4509 रकबा 0.26 है. प्रार्थीगण की खरीद शुदा आराजीयात उक्त आराजीयात में प्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा है। उक्त खसरा नंबर 4976/4509 रकबा 0.26 है. का नक्शा ट्रेस में इन्द्राज सही हो रहा है तथा इस खसरा नंबर 4976/4509 के दक्षिण में खसरा नंबर 5028/4509 का भी नक्शा ट्रेस में इन्द्राज हो रहा है। राजस्व रिकोर्ड के नक्शा ट्रेस में खसरा नंबर 4976/4509 शेप में इन्द्राज हो रहा है कि जो राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी के अनुरूप है। ऑनलाईन नक्शा जो प्रदर्शित किया जा रहा है उसमें उक्त वास्तविक नक्शा ट्रेस में हो रहे इन्द्राज के अनुसार नहीं है बल्कि पश्चिम से पूर्व तक सीधी लाईन के रूप में अंकन कर उसमें 5028/4509 प्रदर्शित हो रहा है तथा उसके उत्तर में लगता हुआ खसरा नंबर 4509 तथा खसरा नंबर 4976/4509 प्रदर्शितहो रहो जो कि वास्तविक नक्शा ट्रेस के विपरीत है कि जिसे दुरूस्त किया जाने की कृपा करें।

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

- प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस का मनन किया तथा तहसीलदार सवाई माधोपुर की रिपोर्ट का अवलोकन किया तहसीलदार सवाई माधोपुर की रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक जमाबंदी ग्राम खिलचीपुर खाता संख्या 365 खसरा नंबर 4976/4509 रकबा 0.26 है0 भूमि नादिश मोहम्मद पुत्र नफीस हि0 1/2 व मोइनुदीन पुत्र अलाउद्दीन हि0 1/2 जाति मुसलमान सा0 हम्माल मोहल्ला शहर सवाई माधोपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा नंबर 5028/4509 रकबा 0.11 है0 भूमि किस्म गै0मु0 रास्ता नगर विकास न्यास पूर्ण संस्था के नाम दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक वर्तमान नक्शा लठ्ठा शीट के खसरा नंबर 4976/4509 रकबा 0.26 है0 का नक्शा 4509 के दक्षिणी पूर्वी कोने से शुरू होकर खसरा नंबर 4509 उत्तर पश्चिमी कोने तक एल शेप में बना हुआ है। खसरा नंबर 5026/4509 रकबा 0.11 है0, खसरा नंबर 4976/4509 के दक्षिणी पूर्वी कोने से चालू होकर दक्षिणी पश्चिमी कोने तक बना हुआ है। वर्तमान ऑनलाईन नक्शे में खसरा नंबर 4976/4509 के मूल खसरा नंबर 4509 के सहारे पश्चिमी दिशा में बना रखा है तथा खसरा नंबर 5028/4509 को खसरा नंबर 4509 के दक्षिणी दिशा की सीमा के सहारे बना रखा है। जो गलत है। अतः वर्तमान ऑनलाईन नक्शे में वर्तमान नक्शा लठ्ठा शीट के आधार पर खसरा नंबर 4976/4509 को खसरा नंबर 4509 के दक्षिणी पूर्वी कोने से चालू करते हुये खसरा नंबर 4509 के उत्तरी पश्चिमी कोने तक एल शेप में बनाया जाना व खसरा नंबर 5028/4509 को खसरा नंबर 4976/4509 के दक्षिणी पूर्वी कोने से चालू करके दक्षिणी पश्चिमी सीमा तक दक्षिणी दिशा में बनाया जाना उचित होगा। तहसीलदार सवाई माधोपुर की अभिशंषा होने तथा प्रकरण में ऑनलाईन नक्शे में सेग्रीगेशन के दौरान गलती होने के कारण प्रकरण स्वीकार किये जाने योग्य है।

:— कियात्मक आदेश —:

क्त विवेचन एवं तथ्यो के आधार पर प्रार्थी का धारा 136 एलआरएक्ट का प्रार्थना त्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेश दिये जाते है कि जस्व ग्राम खिलचीपुर के वर्तमान ऑनलाईन नक्शे में वर्तमान नक्शा लठ्ठा शीट आधार पर खसरा नंबर 4976/4509 को खसरा नंबर 4509 के दक्षिणी पूर्वी कोने चालू करते हुये खसरा नंबर 4509 के उत्तरी पश्चिमी कोने तक एल शेप में नाया जावे व खसरा नंबर 5028/4509 को खसरा नंबर 4976/4509 के दक्षिणी र्वी कोने से चालू करके दक्षिणी पश्चिमी सीमा तक दक्षिणी दिशा में बनाया जावे। देश की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार सवाई माधोपुर को भिजवायी वे। निर्णय आज दिनांक 13/1/26 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में नाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिल ।

(गौरव कुमार मित्तल)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर